

अत्यधिक आरक्षित धन से घट सकती है आरबीआई

नई दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा)।

है। आरबीआई की रेटिंग से केंद्रीय बैंक के लिए उसका प्रभाव पूरी तरह से अतिरिक्त मुद्रा भंडार से रेटिंग घट सकती है, यह पूछे जाने पर अतिरिक्त मुद्रा भंडार से रेटिंग घट सकती है,

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को अतिरिक्त मुद्रा भंडार हस्तांतरित करने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि इससे केंद्रीय बैंक की रेटिंग नीचे आ सकती है।



पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
शाखा का कार्यालय (यों): डी-2, भू तल, सेक्टर-3, नोएडा-201301, फोन: 7292013073 एवं 7292013083, ई-मेल: noida@pnbhousing.com, एरजी, बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011, फोन: 120-2699117, ई-मेल: ghaziabad@pnbhousing.com

शुद्धि पत्र

श्रेणधारको 1) सतेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती रजनी, श्री रमेश गुप्ता एवं 2) श्रीमती रजनी, श्री सतेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती बबिता रानी एवं 3) श्रीमती विलास वम्बर, श्री नवेन्दु बम्बर, श्री रवि कुमार के संदर्भ में 8 दिसम्बर, 2018 को अंग्रेजी में फाइनांसियल एक्सप्रेस-दिल्ली तथा हिन्दी में जनसत्ता-दिल्ली में प्रकाशित नियम 8 (6) तथा परिशिष्ट-IV-ए (वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) के प्रावधानों के अनुसार अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक ई-नीलामी-सह-बिडनी सूचना के विज्ञापन के संदर्भ में।
विज्ञापन में क्रम सं. 4 में नीलामी के नियमों एवं शर्तों में बोली जमा करने की अंतिम तिथि '18.12.2018' को जगह '4.1.2019' पढ़ें। अनजाने में हुई असुविधा के लिये अत्यंत खेद है।
प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.



इंडियन बैंक सेवा शाखा
जी-41, कानॉट सर्कस, 3रा तल, मद्रास होटल के सामने
कानॉट सर्कस, टेली: 011-23324232

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 9.7.2018 जारी कर ऋणधारक श्री विकास गुप्ता (आवेदक) तथा श्रीमती मोहिनी (गारन्टर) जिनका हमारी मेहरीली इंस्टीट्यूशनल एरिया शाखा में खाता है, को सूचना की प्रतियां की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3770845.13 (रुपए सैंतीस लाख सत्तर हजार आठ सौ पैंतालिस एवं पैसे तेरह मात्र) तथा 11.12.2018 से भुगतान की तिथि तक व्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक/ गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 12 दिसंबर, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जज एवं खर्च के साथ रु. 29,90,279.61 (थिओ वैंलेंस + (एमओआई) 7,80,565.52 + (अधिशेष) 0.00 = 3770845.13 (सैंतीस लाख सत्तर हजार आठ सौ पैंतालिस एवं पैसे तेरह मात्र) 11.12.2018 को बकाया के लिए इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

पंजीकरण उप जिला फरीदाबाद तथा जिला फरीदाबाद के भीतर शिव हरिजन कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित खसरा नं. 49/25/2/1 मिन तथा 49/16/4 मिन से शामिल संपत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दी: उत्तर: एम.वी.एन. एथेन्स अपार्टमेंट्स, दक्षिण: रास्ता
पुर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: अन्य संपत्ति
तिथि: 13.12.2018
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली
इंडियन बैंक

प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] प्रेसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स के ध्यानार्थ	
1. कारपोरेट देनदार का नाम	प्रेसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कारपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	11.08.2005
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4. कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान सं./सीमित देयता पहचान सं.	U27106DL2005PTC13956
5. कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	खसरा नं. 29/10, भूतल, गली नं. 17, शिव मंदिर के पास, ग्राम-लिबासपुर दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110042, भारत
6. कारपोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन की शुरुआत तिथि	10.12.2018 (आदेश प्राप्त की तिथि: 13.12.2018)
7. दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमति तिथि	08.06.2019 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8. अंतरिम समाधान पेशेवर के तौर पर कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	मणिबंधन जे, IBBI/IPA-002/IP-N00534/2017-2018/11695
9. अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ई-मेल जो बोर्ड के पास पंजीकृत है	प्लॉट नं. 53बी, 8/330, विशालक्ष्मी नगर फोर्थ व्यास स्ट्रीट, संतोषपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600073 ईमेल: equitablelegal@gmail.com
10. अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किए जाने वाला पता व ई-मेल	प्लॉट नं. 53बी, 8/330, विशालक्ष्मी नगर फोर्थ व्यास स्ट्रीट, संतोषपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600073 ईमेल: equitablelegal@gmail.com
11. दावा दाखिले की अंतिम तिथि	27.12.2018 (दिवालियापन पेशेवर आदेश सूचित करने के तिथि से 14 दिन)
12. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6अ) के खंड (ब) के अधीन सुनिश्चित लेनदारों की श्रेणी यदि कोई हो।	कुछ नहीं
13. एक श्रेणी में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने की पहचान रखने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	प्रयोज्य नहीं
14. (अ) प्रासंगिक फार्म तथा (ब) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	वेब लिंक: http://ibbi.gov.in/downloadform.html प्लॉट नं. 53बी, 8/330, विशालक्ष्मी नगर फोर्थ व्यास स्ट्रीट, संतोषपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु-600073

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, खंडपीठ-III नई दिल्ली में 10.12.2018 को प्रेमसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिए हैं। प्रेमसंस सुपर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद् द्वारा अपील है कि वे अंतरिम समाधान पेशेवर को इंडी नं. 10 में उल्लिखित पते पर 27.12.2018 से पहले अथवा को प्रमाण के साथ अपना दावा पेश करें।
वित्तीय लेनदार सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपना दावा पेश करें। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत तौर पर, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं।
इंडी नं. 12 (एनए) में सूचीबद्ध श्रेणी से संबंधित वित्तीय लेनदार को फार्म सीए में श्रेणी (विशिष्ट श्रेणी) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिए इंडी नं. 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों की सूची से प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपनी पसंद सूचित करना होगा।
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार दावा दाखिल करना होगा। दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित विविध फार्म में प्रमाण के साथ दावा दाखिल करना होगा:
फार्म बी: परिचालनगत लेनदारों द्वारा दावा कर्मचारी व श्रमिकों को छोड़कर
फार्म सी: वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा
फार्म डी: एक श्रेणी में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावा
फार्म ई: श्रमिकों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावा
फार्म ई: श्रमिकों अथवा कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पेश दावा
फार्म एफ: लेनदारों द्वारा दावा (वित्तीय लेनदारों तथा परिचालन गत लेनदारों के अतिरिक्त)
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण पेश करने पर अर्धदंड लागू।

मणिबंधन जे
अंतरिम समाधान पेशेवर
स्थान: चेन्नई
दिनांक: 13.12.2018
IBBI/IPA-002/IP-N00534/2017-2018/11695

Bank of Baroda

(A Govt. Of India Undertaking)

बैंक ऑफ बड़ौदा

(भारत सरकार का उपकरण)

ई-नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 9वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 18, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23448840, मो.- 9073915006, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंक के प्रभाषित अचल आस्तियों की बिक्री

द्वारा जनसाधारण को तथा उधारकर्ताओं और गारंटर्स को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अधोवर्णित सम्पत्तियों बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक है, जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत ले लिया गया था, और अब इनकी बिक्री लागू होगा। धारकों एवं धारकों के साथ बैंक की